# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग
### अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (राज0)–32/2014 ....6179..... /न0वि0एवंआ0वि0। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–1361/स्था0 दिनांक–22.08.17 के आलोक में श्री रोशन कुशवाहा (भा0प्र0से0), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर का प्रभार दिया जाता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–10502 दिनांक–17.08.2017 एवं उक्त अधिसूचना का शुद्धि पत्र सं0–10505 दिनांक–18.08.2017 एवं तद्नुसार जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के आदेश ज्ञापांक–1202 दिनांक–20.08.17 के आलोक में श्री राम शंकर, उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णियां को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम पूर्णियां का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–
**(शिव प्रसाद राम)**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (राज0)–32/2014 ....6179..../न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक– 14/9/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर आयुक्त/श्री रोशन कुशवाहा (भा0प्र0से0), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर/श्री राम शंकर, उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णियां/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.17
सरकार के अवर सचिव।